**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2757**

**जिसका उत्तर 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है।**

**बिजली विभाग का निजीकरण**

**2757. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में बिजली विभाग का निजीकरण कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिजली के वितरण का भी निजीकरण कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कदम के बाद गरीबों और जनजातीय लोगों को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजीकरण के बाद सभी छोटी और बड़ी औद्योगिक इकाइयों को सस्ती दरों पर बिजली की आपूर्ति जारी रखने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के बिजली विभाग में कार्यरत सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ कर्मचारियों के पद और वेतन समान रहने या बढ़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) और (ख) :** भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत दादरा एवं नगर हवेली (डीएनएच) तथा दमन एवं दीव (डीडी) सहित संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में विद्युत विभागों एवं यूटीलिटियों के निजीकरण की घोषणा की है। यह निर्णय विद्युत वितरण में प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दक्षताओं में सुधार करते हुए उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लक्ष्य से मार्गदर्शित है। डीएनएच और डीडी में विद्युत वितरण के निजीकरण के निर्णय को दिनांक 25.11.2021 को सूचित किया गया है।

**(ग) और (घ) :** विद्युत वितरण एक विनियमित व्यवसाय है और वितरण कंपनियों द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्रभारित किए जाने वाले लागू टैरिफ पर निर्णय वितरण यूटीलिटी द्वारा नहीं, अपितु संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकार को गरीब, आदिवासियों और औद्योगिक उपभोक्ता सहित विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में यूनिट-वार सब्सिडी प्रदान करने का अधिकार है।

**(ङ) और (च) :** संघ राज्य क्षेत्र के विद्युत विभाग/यूटीलिटी से कार्मिकों का नई कंपनी में स्थानांतरण विद्युत अधिनियम की धारा 133 में दिए गए प्रावधानों के अधीन है, जिसमें यह व्यवस्था है कि स्थानांतरण पर कार्मिकों के लिए लागू सेवा के निबंधन एवं शर्तें किसी भी प्रकार से स्थानांतरण तिथि से ठीक पहले उन पर लागू निबंधन एवं शर्तों से कम लाभदायक अथवा न्यून नहीं होंगी।

**********